


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

SP-8279

12-7-13



कमांक 2614
स्टैंड पोस्ट द्वारा आज 1.
दिनांक को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल न प्र ग्वालियर

श्रीमती सरोज अग्रवाल पुत्री राममनोहर अग्रवाल निवासी लालता चौक सतना, जिला सतना (म०प्र०)

श्रीमती ज्ञानवती सिंह चौहान पुत्री श्री शिवमूर्ति सिंह निवासी आकाशगंगा नगर पतेरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना

(म०प्र०)-----अपी०गण

बनाम

1. शासन म०प्र०द्वारा उपपंजीयक सतना, जिला सतना (म०प्र०)
2. विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल
3. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

दोनों के पिता हीरालाल अग्रवाल, निवासी विन्ध्य चेम्बर कामर्स के बगल से सतना (म०प्र०)-----उत्तरवादीगण

अपील विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् आयुक्त
रीवा संभाग रीवा म०प्र० के प्रकरण
कमांक-395/अपील/12-13 में पारित
आदेश दिनांक 28.06.13

अपील अन्तर्गत धारा 47 उपधारा 6 एवं 7

स्टम्प अधिनियम

अधिनियम की धारा 47क की उपधारा 4 व 5 के

अधीन अपील का प्रारूप

1-क. अपीलार्थी का पूरा नाम
पिता का नाम, व्यवसाय
तथा पता

1. श्रीमती सरोज अग्रवाल पुत्री
राममनोहर अग्रवाल निवासी लालता
चौक सतना, जिला सतना (म०प्र०)

2. श्रीमती ज्ञानवती सिंह चौहान पुत्री


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.2742-II/13

जिला-सतना

श्रीमती सरोज अग्रवाल/शासन, विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	